

दिनांक:—13.06.2019

प्रार्थना-पत्र 023 आर 1 नियम पेश होने पर पत्रावली आज पेशी में ली गयी। वकील प्रार्थी उप.। प्रार्थी स्वयं उपस्थित प्रार्थना-पत्र 212 आर.टी.ए. आगे चलाना नहीं चाहता व जरिये Withdrawl खारिज करवाना चाहता है। प्रार्थना-पत्र 023 आर 1 सीपीसी स्वीकार किया जाकर दिनांक 01.08.2017 को जारी एक तरफा अस्थायी निषेधाज्ञा जरिये Withdrawl खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।